



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, प्यारसाँ वन, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimcofrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/135/2023/एफ.सी. /540

दिनांक : 12.03.2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Approach/153338/2022

विषय: जनपद देवरिया में भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच०-79) के किमी० नं०-11 (वैनेज संख्या-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-418 ग्राम सिरसिया तहसील व जिला देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 1718/11-सी-FP/UP/Approach/153338/2022, दिनांक 09.01.2024, महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-123/81-2-2023-800(119)/2023, दिनांक 19.05.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण को दिनांक 15.02.2024 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 3.8 (UP) सम्मिलित किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के संज्ञान में आया :-

This proposal works started in 2021 after which DFO booked a case in Indian Forest Act. Later in 2022 the proposal for approval under FCA, 1980 was initiated. However it is not clear if any authority has passed for violation of FCA, 1980.

क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) ने प्रस्ताव को विभिन्न प्रेच्छाओं के अभाव में आस्थगित (defer) कर दिया है। अतः मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जा सके:-

1. Name of the authority which has passed orders in contravention of FCA, 1980 and the action initiated by DFO for violation.
2. Divisional Forest Officer (DFO) to ensure that no other retail outlet in the division is operating without proper approval of competent authority.

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया।
5. टेरीटरी मैनेजर, भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० बैतालपुर डिपो, देवरिया।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 2297/11-सी-FP/UP/Approach/153338/2022, लखनऊ, दिनांक: मार्च, 2024

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- टेरीटरी मैनेजर, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय, बैतालपुर डिपो, देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।